न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 159 / 2022 प्रार्थना पत्र　　　　　　　　　　दायर दिनांक 20.12.2022

उनवान

1. गोवर्धनलाल पुत्र गणेशलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. कन्हैयालाल पुत्र गणेशलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. शांतिलाल पुत्र हीरालाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
4. गजानन्द पुत्र हीरालाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
5. शंकर पुत्र हीरालाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
6. गोपाल पुत्र हीरालाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
7. रामचंद्र पुत्र हीरालाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़। (लाऔलाद फोत)
8. तुलसीराम पुत्र गणेशलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
9. गीता पुत्री गणेशलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
10. मोहनी पुत्री गणेशलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
11. रूकमा पुत्री गणेशलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
12. लेहरी पुत्री गणेशलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
13. राजुलाल पुत्र गणेशलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
14. रामसुखीबाई पत्नी गणेशलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
15. कैलाश पुत्र नन्दलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
16. मदन पिता नन्दलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
17. प्रेमबाई पुत्री नन्दलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
18. मांगीबाई पत्नी नन्दलाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
19. गिरधारी पिता हीरालाल तेली आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़ मृत्तक के बजाय– गीता पत्नी गिरधारी पिता हीरालाल तेली उम्र वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. गिरधारीनाथ पिता चमनानाथ आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. गोपीनाथ पिता चमनानाथ आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. सुन्दरनाथ पिता केशुनाथ आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
4. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र तेली　　　　　　　　–प्रार्थीगण
एकतरफा　　　　　　　　　　　　　　　　　　–अप्रार्थीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 :–

निर्णय दिनांकः 23.01.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णय:–

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं [illegible] काश्त की आराजीयात मौजा समरथपुरा पटवार हल्का छाप[illegible] तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है, जिसके खाता संख्या 24 खसरा संख्या 791 रकबा 0.18, खसरा संख्या 792

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रकबा 0.53 है0, खसरा संख्या 793 रकबा 0.04 हैक्ट0 आ0चा0 है, खसरा संख्या 794 रकबा 0.56 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.31 है0 कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड है।

यह कि प्रार्थी अपनी आराजीयात में जाने के लिए सिंहपुर से छापरी रोड आराजी नं0 3275 रकबा 0.24 है0 से होता हुआ विपक्षी संख्या 3 की आराजी नं0 801 है0 की उत्तर दिशा की मेढ पर होते हुए विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 800 रकबा 0.04 हैक्ट0 की उत्तर दिशा की मेड पर होते हुए व विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी नं0 789 की पूर्व दिशा की मेड पर उत्तर की तरफ प्रार्थीगण अपनी आराजीयात नं0 791 पर प्रवेश करते हुए हमारी अन्य आराजीयात में जाते है, उक्त रास्ते का बाप दादाओं के समय से ही उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, हम प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि आराजीयात में कदीमी रूप से कृषि कार्यो के लिए कृषि उपकरण बैलगाडी, ट्रेक्टर पशु आदि को ला रहे व ले जा रहे है। उक्त कृषि आराजीयात की वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, साथ ही प्रार्थीगण की ओर से मौके की वस्तुस्थिति अनुरूप नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जो प्रार्थना पत्र का भाग एवं अंग है।

यह कि प्रार्थीगण मौजा सिंहपुर के स्थायी निवासी है तथा प्रार्थीगण के बाप दादाओं ने ग्राम समरथपुरा में उक्त कृषि आराजीयात काफी वर्षो पूर्व क्रय की एवं उक्त कृषि आराजीयात पर काश्त करते चले आ रहे हैं, प्रार्थीगण सद्भाविक काश्तकार होकर प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात पुश्तैनी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शें अनुसार प्रार्थी शुरू से ही अपनी आराजीयात में आते जाते है, लेकिन वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्ता कायम नहीं है तथा उक्त आराजीयात विपक्षीगण के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है इसलिए विपक्षीगण द्वारा अपने खातेदारी में दर्ज चली आ रही है इसलिए विपक्षीगण द्वारा अपने खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर हम प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात में प्रवेश करने पर लडाई झगडा करते है तथा अकारण ही लडाई झगडा करने पर उतारू रहते है, परन्तु भविष्य में किसी प्रकार लडाई झगडा नहीं हो शांतिपूर्वक उक्त रास्ते का उपयोग करना चाहते है इसके लिए राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1952 की धारा 251 ए के तहत रास्ता कायम कराना चाहते है इसके लिए नियमानुसार शुल्क अदा करने के लिए तैयार है। इसलिए राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कर नक्शें में तरमीम करने हेतु प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थीगण की ओर से कदीमी रास्ते को सुचारू रूप से चालु करवाने एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने हेतु पूर्व में ग्राम पंचायत के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं वर्तमान में प्रशासन गांवों के संग अभियान में केम्प कोर्ट में भी प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं करने के कारण वर्तमान में प्रार्थीगण के खेत पडत पडे है।

यह कि दिनांक 01.07.2022 को प्रार्थीगण अपने खेतों की जुताई करने के लिए उपरोक्त कदीमी रास्ते से जाने लगे तो विपक्षीगण ने अकारण लडाई झगडा किया एवं प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु विपक्षीगण को निवेदन किया तो विपक्षीगण ने मना कर दिया इसलिए वाद कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested

अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित उपरोक्त आराजीयात जो कदीमी रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर अमलदरामद किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। आज दिनांक 23.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 18.01.2024 को कमिश्नर से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शा0फा0 किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा मौखिक बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर रास्ता उपलब्ध कराया जावें।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)

   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी मौजा समरथपुरा की आराजीयात पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

   संलग्न नक्शा ट्रेस व प्रस्तावित अनुसार निकटतम

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

   नहीं।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   प्राप्त रिपोर्ट अनुसार काफी समझाईश के उपरान्त भी सहमति वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 के मध्य नहीं हो सकी, किन्तु उक्त प्रस्तावित किये जा रहे रास्ते बाबत् भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 2 उक्त स्थल से रास्ते बाबत सहमत हुआ।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   वादीगण द्वारा चाहे गये एवं प्रस्तावित अनुसार

   आ0नं0 789 में से 248 वर्गमीटर (62 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई)

   आ0नं0 800 में से 32 वर्गमीटर (8 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई)

   आ0नं0 801 में से 560 वर्गमीटर (140 मी0 लम्बाई × 4 मी0 चौडाई)

   कुल प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 840 वर्गमीटर(0.0840 हैक्ट0) है।

   कुल राशि डी0एल0सी0 दर 17[illegible] रूपये प्रति हैक्टयर से 840 वर्गमीटर 1,44,402 रूपये का [illegible] 2,88[illegible]4 [illegible] बनते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष [illegible] आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा समरथपुरा पटवार हल्का छापरी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आ0सं0 791 रकबा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

0.18 हैक्ट0, आ0सं0 792 रकबा 0.53 है0, आ0सं0 793 रकबा 0.04 हैक्ट0 आ0चा0 है, आ0सं0 794 रकबा 0.56 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.31 है0 पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 789, 800 तथा 801 से रास्ता चाह रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः मौजा समरथपुरा की आ0 सं0 791, 792, 793, 794 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क :– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप–खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

   (2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

   (3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा समरथपुरा पटवार हल्का छापरी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 791, 792, 793, 794 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा समरथपुरा की आ.न. 789, 800, 801 है। जिससे रास्ते का प्रस्तावित

रकबा आ0नं0 789 में से 62 × 4 = 248 वर्गमीटर, आ0नं0 800 में से 8 × 4 = 32 वर्गमीटर, आ0नं0 801 में से 140 × 4 = 560 वर्गमीटर, कुल क्षेत्रफल 840 वर्ग मीटर है जिसका दिनांक 11.01.2024 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 840 वर्गमीटर की डीएलसी दर 17,19,074 × 0.0840 = 1,44,402 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 2,88,804/– रूपये अक्षरे दो लाख अठासी हजार आठ सौ चार रूपये राशि जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में हक हिस्से अनुसार देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:17 IST
Reason: SelfAttested